न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :— सचिन यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण सख्याः 40/23 दायर दिनांकः 21.11.2023
जीसीएमएस नं. 2023/367

उगन्ती पुत्री जलधारी पत्नि रामवतार जाति मीना नि. निठार तह. भुसावर हाल नि. रामपुरा पोस्ट करनपुरा तह. रैणी जिला अलवर राज.

—प्रार्थीया

बनाम

राज. सरकार जरिये तहसीलदार, भुसावर जिला भरतपुर राज.

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136
राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956
अधिवक्ता— 1.श्री छोटेलाल मीना —प्रार्थीया
2.पैराकार सरकार —अप्रार्थी

निर्णय दिनांक 19.07.2024

प्रार्थीया द्वारा जरिये वकील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.ए. के तहत पेश किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आ.ख.नं. 1309 रकबा 0.18, 1313 रकबा 0.01, 1314 रकबा 0.12, 1315 रकबा 0.29, 1316 रकबा 0.55 किता 05 कुल रकबा 1.15 हैक्टे. के 1/14 हिस्सा व आ.ख.नं. 1320 रकबा 0.20, 1325 रकबा 0.45 हैक्टे. किता 2 कुल रकबा 0.65 हैक्टे. के 2/21 हिस्सा एवं आ.ख.नं. 1317 रकबा 0.25 हैक्टे. के 1/21 हिस्सा वाके ग्राम निठार तह. भुसावर की प्रार्थीया काविज काश्तकार एवं खातेदार है और मौके पर उक्त आराजी पर शान्ति पूर्व काश्त करती चली आ रही है।

उपरोक्त आराजीयात प्रार्थीया की पैत्रिक आराजी है, जो प्रार्थीया को विरासतन प्राप्त हुई है। जिसमें प्रार्थीया का नाम राजस्व कर्मचारियों की सहवन गलती से उगन्ती के स्थान पर सरूपी गलत नाम दर्ज कर दिया है। क्योंकि प्रार्थीया का नाम प्यार से सरूपी नाम से भी जानते थे, जबकि रिकॉर्ड में प्रार्थीया का सही नाम उगन्ती दर्ज होता चला आ रहा है। जिसकी वजह से प्रार्थीया के प्यार के नाम को ही राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी के इन्द्राज करते समय दर्ज कर दिया था। जिससे प्रार्थीया अपने हिस्से की आराजी के बाबत राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त आर्थिक सहायताओं से भी वंचित होना पड रहा है और ना ही किसी वित्तीय संस्था या बैंक से कृषि सुधार ऋण ही प्राप्त कर पा रही है। जिससे प्रार्थीया अपनी पैत्रिक आराजी के अधिकारों से भी वंचित हो रही है। जबकि प्रार्थीया के सभी दस्तावेजात आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि में प्रार्थीया का सही नाम दर्ज होता चला आ रहा है। इस प्रकार प्रार्थीया के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के लिए अप्रार्थी के भुसावर स्थित कार्यालय में कई चक्कर काट चुकी है। लेकिन अप्रार्थी व उसके अधीनस्थ कर्मचारियों ने प्रार्थीयां के नाम को आज तक दुरूस्त नहीं किया गया है।

प्रार्थीया द्वारा निवेदन किया गया है कि राजस्व रिकॉर्ड में गलत नाम सरूपी का सही नाम उगन्ती देवी किया जावें।

हमने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलवी जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा की गई। नोटिस की ताईद में तहसीलदार, भुसावर द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। मुताबिक रिपोर्ट अवगत कराया गया है कि राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थिया का नाम सरूपी पुत्री जलधारी है तथा मौके पर जाँच करने पर पाया गया कि सरूपी पुत्री जलधारी नाम की कोई महिला नहीं है। उक्त महिला का सही नाम उगन्ती पुत्री जलधारी है।

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)

हमने बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड एवं तहसीलदार, भुसावर की रिपोर्ट का गहन अध्ययन किया गया। उक्त के आधार पर हम प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित पाते है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थिया स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, भुसावर को आदेशित किया जाता है कि आ.ख.नं. 1309, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1320, 1325 वाके ग्राम निठार में प्रार्थिया के गलत नाम सरूपी को दुरूस्त कर सही नाम उगन्ती दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 19.07.2024 को लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(सचिन यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
भुसावर (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)